प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 364/2022 दिनांक – 15/9/2022

2. (अ) अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7**

(ब) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(स) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(द) अन्य अधिनियम – धाराये – ....

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 280 समय – 1:30 PM,

ब. अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 14.09.2022 समय – 10.29 ए.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 13.09.2022 समय – 02.40 पी.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उतर पूर्व लगभग 80 किलोमीटर

(ब) पता :– पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री शिवकरण उर्फ होलाराम (ब) पिता/पति का नाम – श्री चैनाराम

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 56 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – खेती (र) पता – ग्राम नाड़सर तहसील/पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

श्री पुनाराम पुत्र श्री धनदास जाति कामड़ उम्र 47 साल निवासी ईनाणा तहसील व पुलिस थाना मूण्डवा जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण।

8- परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 10,000/– रू.**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जोधपुर।

विषय :– रिश्वत राशि मांगने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि मैं शिवकरण पुत्र श्री चैनाराम जाति मेघवाल निवासी नाड़सर तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर का रहने वाला हूं। मैंने कस्बा भोपालगढ़ में मेघवाल छात्रावास के पीछे (पुलिस थाना भोपालगढ़ के पास) खसरा नं. 907 में एक भूखण्ड क्षेत्रफल 1812.5 वर्ग फीट का दिनांक 05.07.2022 को श्री लूणाराम पुत्र श्री हस्तीराम बावरी वगैरा से जरिये रजिस्टरी खरीदा था। मैंने उक्त भूखण्ड खरीदने की ऐवज श्री लूणाराम वगैरा को 117813/–रूपये रोकड़ दिये थे। श्री लूणाराम का उक्त खसरा पैतृक है जिनमें से उन्होने उपरोक्त क्षेत्रफल का भूखण्ड बेचान किया। आज से 10–12 दिन पूर्व मुझे जानकारी हुई की श्री ओमाराम पुत्र श्री जगाराम बावरी निवासी भोपालगढ़ जिला जोधपुर ने मेरे उक्त भूखण्ड के खरीद एवं फर्जीवाड़ा करने का मेरे एवं भूखण्ड विक्रताओं के विरूद्ध पुलिस थाना भोपालगढ़ में एक प्रकरण संख्या 173/2022 दर्ज करवाया है। जिस पर मैं आज से करीब 5–7 दिन पहले मेरे विरूद्ध झुठा दर्ज कराया उक्त प्रकरण की जानकारी करने पुलिस थाना भोपालगढ़ में गया। जहां पर मुझे श्री पुनाराम एएसआई मिले जिन्होने मुझे बताया कि तुम्हारे विरूद्ध एक प्रकरण श्री ओमाराम ने दर्ज कराया है जिसकी जांच मैं ही कर रहा हूँ तथा आप अपने भूखण्ड के कागजात दिखा देना नहीं तो मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। जिस पर मैं डर गया तथा मैं व मेरा पुत्र मनोहर वकील से मिलकर श्री ओमाराम द्वारा मेरे खरीद किये गये भूखण्ड पर कब्जा करने की नियत से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने की एक रिपोर्ट तैयार करवाकर मेरे मनोहर ने अपने हस्ताक्षर करवाकर, भूखण्ड के समस्त दस्तावेज साथ लेकर हम दोनों कल दिनांक 12.09.2022 को पुलिस थाना भोपालगढ़ गये। जहां पर श्री गिरधारीरामजी थानाधिकारी पुलिस थाना भोपालगढ़ मिले। जिन्हें मेरे द्वारा समस्त हालात निवेदन कर भूखण्ड के दस्तावेज दिखाते हुए मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाने का निवेदन किया तो उन्होने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट श्री पुनाराम एएसआई को दे दो। जिस पर मैं जाकर श्री पुनाराम से मिला तथा अपनी रिपोर्ट पेश कर भूखण्ड के दस्तावेज दिखाये जिस पर श्री पुनाराम एएसआई ने मुझे कहा कि आपको आपके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार नहीं करने एवं आपकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की ऐवज में कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। जिस पर मैंने श्री पुनाराम से पुछा कि कितना खर्चा पानी देना पड़ेगा तो उन्होने अपनी टेबल पर रखे पेपर पर 20000/–रूपये लिखे तब मैंने उक्त अंकित राशि को देखकर श्री पुनाराम से विनती की कि मैं सच्चा हूं तथा मैंने पैसे देकर भूखण्ड खरीदा है। मैं गरीब व्यक्ति हूं उक्त राशि 20000/–रूपये मेरे लिये बहुत भारी रकम है कुछ कम कराओ तो उन्होने 20000/–रूपये देने का ही कहा। मैं श्री पुनाराम एएसआई को मेरे जायज काम की ऐवज में रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। मैं इसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। श्री पुनाराम एएसआई से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है तथा न ही उनसे मेरा कोई पूर्व का लेन–देन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक

प्रार्थी
एसडी/
.(शिवकरण)
पिता का नाम– श्री चैनाराम
जाति मेघवाल, उम्र 56 वर्ष,
निवासी गांव नाड़सर तहसील भोपालगढ़
जिला जोधपुर

एसडी डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति.पु. अधीक्षक
दिनांक 13.09.2022

एसडी श्री विनोद कच्छवाह
दिनांक 14.09.2022
एसडी श्री मनीष कुमार विश्नोई
दिनांक 14.09.2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 13.09.2022 समय 02.40 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री शिवकरण पुत्र श्री चैनाराम जाति मेघवाल उम्र 56 वर्ष निवासी गांव नाड़सर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष एक टाईपशुद्वा रिपोर्ट उपरोक्त तथ्यों की श्री पुनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना भोपालगढ़ जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध जायज काम की ऐवज में रिश्वत राशि मांगने की पेश की तथा मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि उपरोक्त रिपोर्ट मैंने मेरे विश्वसनीय व्यक्ति से गोपनीय रूप से टाईप करवाई है तथा उक्त रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया साथ ही बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री पुनाराम एएसआई बहुत शातिर प्रवृति एवं भ्रष्ट अधिकारी है जो बिना पैसे बात भी नहीं करता है एवं रिश्वत की राशि भी अपने मुंह से नहीं मांगकर अंगुलियों के ईशारो या पेपर पर लिखकर मांग करता है तथा अपने मुंह से बार–बार रूपये नहीं देने की बात करता है। मजमून रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत होना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित करने हेतु कार्यालय के श्री रूपसिंह कानि. नं. 583 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें अपनें कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री शिवकरण से परिचय करवाया गया। दोनों के मोबाईल नं. एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये तथा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर अलमारी से मंगवाकर रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री शिवकरण व श्री रूपसिंह कानि. नं. 583 को उसके संचालन विधि की समझाईश की गई। ततपश्चात् श्री रूपसिंह कानि. नं. 583 को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु परिवादी श्री शिवकरण के साथ आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु भोपालगढ़ लिये रवाना किया गया। साथ परिवादी श्री शिवकरण को हिदायत दी कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हो जाने पर शीघ्र आरोपी श्री पुनाराम को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर श्री रूपसिंह कानि. के साथ उपस्थित आवें। वक्त 07.34 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल श्री रूपसिंह कानि. जो परिवादी श्री शिवकरण के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने भोपालगढ़ गया हुआ है से जरिये मोबाईल वार्ता कर जानकारी ली तो श्री रूपसिंह ने बताया कि परिवादी व श्री पुनाराम एएसआई के मध्य रिश्वति राशि मांग की वार्ता हो गई तथा हम दोनो भोपालगढ़ से रवाना हो चुके है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस जो आवश्यक राजकार्य से कार्यालय से बाहर होने कारण बाद राजकार्य फारिक होकर शीघ्र कार्यालय में पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया एवं श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया कि खनि. अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग जोधपुर से सम्पर्क कर कल प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के लिये दो स्वतन्त्र गवाहान भिजवाने हेतु अनुरोध कर गवाहान को प्रातः 07.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिये पाबन्द करें। तहरीर पृथक से प्रेषित की गई। ताबाद श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि खनि. अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग जोधपुर से जरिये टेलीफोन अनुरोध प्रातः 07.00 ए. एम. पर 02 गवाह भिजवाना सुनिश्चित करवाया जा चुका है। ताबाद श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस बाद राजकार्य कार्यालय हाजा उपस्थित आया। जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिवकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट पत्रावली सुपुर्द कर बताया कि कानिस्टेबल रूपसिंह नं. 583 द्वारा मांग सत्यापन होना मुझे अवगत कराया है अतः आप कानिस्टेबल रूपसिंह के कार्यालय हाजा उपस्थित आने पर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर से मांग सत्यापन वार्ता सुनकर कर मुझे अवगत कराते हुए अग्रिम कार्यवाही अमल में लावें। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य से स्पेशल युनिट एसीबी जोधपुर के लिये रवाना हुआ। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री शिवकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट पत्रावली का अवलोकन कर अपने पास सुरक्षित रखी। उसी रोज वक्त 09.25 पी.एम. पर श्री रूपसिंह कानि. नं. 583 मय परिवादी श्री शिवकरण रिश्वत राशि मांग सत्यापन में गये हुए कार्यालय में उपस्थित आये तथा कानिस्टेबल श्री रूपसिंह ने स्वीच ऑफ शुदा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि परिवादी श्री शिवकरण एवं संदिग्ध अधिकारी श्री पुनाराम एएसआई के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता हो गई जो इस डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है साथ ही परिवादी ने मुझे बताया कि श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मैं व श्री रूपसिंह अपनी निजी मोटर साईकिल से ब्यूरो चौकी से रवाना होकर भोपालगढ थाने के सामने तहसील कार्यालय के पास वक्त

05.45 पी.एम. पर पहुंचे। जहां पर मैंने मेरे परिचित की एक मोटरसाईकिल श्री रूपसिंह को आवश्यकतानुसार काम लेने हेतु सुपुर्द की। ततपश्चात श्री रूपसिंह कानि. ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर अपने साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑन कर मुझे सुपुर्द कर श्री पुनाराम एएसआई से वार्ता करने हेतु मेरी मोटर साईकिल से पुलिस थाना भोपालगढ़ के लिये रवाना किया मैं थाने में पहुंचकर श्री पुनाराम एएसआई की उपस्थिति के बारे में मालुमात किया तो श्री पुनाराम थाने में उपस्थित नहीं होकर थाने से बाहर गया हुआ होना ज्ञात हुआ। जिस पर मैंने मेरे मोबाईल नं. 9928748247 से श्री पुनाराम एएसआई के मोबाईन नं. 7014597575 पर फोन किया मगर श्री पुनाराम ने फोन रिसीव नहीं किया। कुछ समय पश्चात् श्री पुनाराम के उपरोक्त मोबाईल नं. 7014597575 से मेरे मोबाईल नं. 9928748247 पर कॉल आने पर मैंने उनकी उपस्थिति पुछी तो उन्होने सुरपुरा रोड़ पर नाकाबन्दी करना तथा मुझे वही पर आने को कहा जिस पर मैं पुलिस थाना भोपालगढ़ से अपनी मोटर साईकिल से रवाना होकर श्री रूपसिंह कानि. के पास पहुंचा तथा श्री रूपसिंह कानि. को मेरे पीछे–पीछे आने का ईशारा कर सुरपुरा रोड़ की तरफ करीब 1.5 कि.मी. चला तो मुझे आगे पुलिस की नाकाबन्दी दिखी जिस मैंने श्री रूपसिंह कानि. को वही खड़ा रहने का ईशारा कर मैं पुलिस नाकाबन्दी के पास पहुंचा तो श्री पुनाराम मुझे आता देखकर मेरे सामने आया तथा मुझे दुर रूकने का ईशारा किया तथा मेरे पास आकर मेरे काम के बारे में मेरे से वार्ता की एवं पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि की बारे में ईशारों में राशि लाने बाबत पूछा तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास अभी 4,000/–रूपये है तो उन्होने राशि देने का ईशारा किया। मैं श्री पुनाराम को मेरे पास उस वक्त उपलब्ध 4,000/–रूपये देने लगा तो पैसे प्राप्त करते हुए अपने मुंह से मात्र औपचारिक रूप से शातिरीया अन्दाज में पैसे लेने से इंकार करते हुए 4,000/–रूपये मेरे से प्राप्त कर अपनी हुई वर्दी के पेन्ट की जेब में रख लिये। पैसे प्राप्त करने के बाद मैंने मेरे विरूद्ध दर्ज मुकदमें चालान नहीं करने एवं मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का निवेदन किया तो श्री पुनाराम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह राशि तो तुम्हारे बचाव की है। मेरे द्वारा श्री पुनाराम एएसआई को 5,000/–रूपये और देने का कहने पर श्री पुनाराम द्वारा मुझे ईशारों से 10,000/–रूपये देने को कहा। उपरोक्त वार्तालाप डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। जिस पर पास ही खड़े श्री रूपसिंह कानि. ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। साथ ही परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री पुनाराम ईशारे से मांगी गई रिश्वति राशि 10,000/–रूपये मैं अपने स्तर पर भोपालगढ़ बस स्टेण्ड पर मेरे परिचित से व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ता को सुना गया जिसमें परिवादी श्री शिवकरण उर्फ होलाराम व श्री रूपसिंह कानि. के द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई है।

दिनांक 14.09.2022 को वक्त 07.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा कार्यालय खनि. अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग जोधपुर से 02 कार्मिक उपस्थित आये तथा मन् निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया। उपस्थित आये कार्मिकों से मन् निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछने पर उन्होने बारी–बारी से अपना परिचय श्री विनोद कच्छवाह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह कच्छवाह जाति माली उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी सिंधीयों की गली, सूरसागर जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि. अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग जोधपुर मोबाईल नं. 87691–48077 व श्री मनीष कुमार विश्नोई पुत्र श्री बाबुराम विश्नोई जाति विश्नोई उम्र 25 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम बजरंग नगर, पुलिस थाना जाम्बा जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक क कार्यालय खनि. अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग जोधपुर मोबाईल नं. 97725–12626 के रूप में दिया। हर दोनो उपस्थित कार्मिकों एवं उपस्थित परिवादी श्री शिवकरण का आपस में परस्पर आपस में परिचय करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी श्री शिवकरण द्वारा दिनांक 13.09.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी श्री शिवकरण व आरोपी श्री पुनाराम एएसआई के मध्य दिनांक 13.09.2022 को हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है के मुख्य अंश का सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने–अपने दिनांकित हस्ताक्षर परिवादी श्री शिवकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों पर किये गये। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर के कार्यालय से कार्यवाही ईमदाद हेतु श्री देवाराम कानि. नं. 373 व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. 432 हाजिर आये। वक्त 07.35 ए.एम. पर रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी श्री शिवकरण पुत्र श्री चैनाराम जाति मेघवाल उम्र 56 वर्ष निवासी गांव नाड़सर तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया, जिस पर परिवादी श्री शिवकरण ने भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/–रूपये पेश किये। परिवादी श्री शिवकरण द्वारा प्रस्तुत नोटो के नंबर निम्नानुसार है :–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3AP 860043
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6FV 627800
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0AB 439110
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8AC 904752
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4QQ 599080
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9AT 759052
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2FL 104772
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7AV 946625
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9FR 626211
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5CT 355592
11.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9RU 810391
12.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4CM 521191
13.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2NG 495372
14.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8GG 573338
15.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1LV 474053
16.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1LV 474052
17.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3UD 117995
18.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9ND 487637
19.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7CQ 027452
20.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5CC *103855

कार्यालय के मालखाना से श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में मंगवाई गई तथा मेरी कार्यालय टेबल पर अखबार बिछवाया जाकर रूबरू मौतबिरान परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त राशि 10000/–रूपये के नोटो पर श्री गणेशराम से हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया परिवादी श्री शिवकरण की जामा तलाशी गवाह श्री मनीष कुमार विश्नोई से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी श्री शिवकरण का मोबाईल नम्बर 9928748247 उनके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री शिवकरण के पहनी हुई कमीज की साईड की दाहिनी जेब में श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शिवकरण को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवें तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की वार्तालाप करे। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। ततपश्चात श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से ही गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी को सुपुर्द करवाई गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे।

इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं का मोबाईल फोन, छोटी मात्रा में नगद रूपये, स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन्

पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव के पास विभागीय परिचय पत्र व आकस्मिक खर्च के 2500/–रूपये रहने दिये गये, इसके अलावा किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रैप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत के साथ ट्रेप कार्यवाही से पृथक किया गया। ततपश्चात वक्त 08.16 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री मनीष कुमार विश्नोई एवं श्री विनोद कच्छवाह, परिवादी श्री शिवकरण उर्फ होलाराम जाब्ता श्री रामकिशोर हैड कानि. नं. 56, श्री भुरसिंह कानि. नं. 23, श्री रूपसिंह कानि. नं. 583, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री मगराज कानि. नं. 141, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नं. 432, श्री देवाराम कानि. नं. 373 के प्राईवेट वाहन एवं सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 यूसी 8795 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्रनिब्यूरो जोधपुर से भोपालगढ़ की तरफ रवाना हुए, रास्ते में वक्त 09.33 ए.एम. पर भोपालगढ़ कस्बे से कुछ दुरी पहले परिवादी श्री शिवकरण के मोबाईल न 9928748247 से आरोपी श्री पुनाराम के मोबाईल नं. 7014597575 से कॉल आया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा वाहन को रोड़ के एक साईड में रूकवाया गया इस दरम्यान फोन कट जाने से वाहन को एक तरफ रूकवाया जाकर परिवादी के उपरोक्त मोबाईल नं. 9928748247 से आरोपी श्री पुनाराम के मोबाईल नं. 7014597575 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी द्वारा परिवादी से उपस्थिति बाबत पुछते हुए पुलिस थाना पहुंचने को कहा। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात भोपालगढ़ की तरफ रवाना होकर वक्त 09.58 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान के सरकारी वाहन के पूर्व में तय किये गये स्थान भोपालगढ कस्बे से थोड़ा पहले दोनो वाहन रूकवाकर समस्त हमराहयान को ब्रिफ किया जाकर परिवादी के मोबाईल नं. 9928748247 का स्पीकर ऑन कर आरोपी के मोबाईल नं. 7014597575 पर परिवादी की वार्ता करवाई गई। वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा आरोपी की उपस्थित एवं मिलने का स्थान पुछने पर आरोपी ने थाने में ही मिलने की बात कही। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्ड में रिकार्ड किया गया। ताबाद वहां से रवाना होकर हिदायत अनुसार मय दोनो वाहन के पुलिस थाना भोपालगढ़ के पास पहुंचे जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत के साथ कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द किया एवं आरोपी श्री पुनाराम से सम्पर्क कर रिश्वति राशि लेन–देन हेतु पुलिस थाने के लिये रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान ने अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए थाने के इर्द–गिर्द पोजीशन लेकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। वक्त 10.29 ए.एम. पर परिवादी श्री शिवकरण ने पुलिस थाना भोपालगढ परिसर से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नं. 9928748247 से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9530292476 पर मिस कॉल कर किया। जिस पर मन् निरीक्षक ने उपरोक्त दोनों गवाहान एवं समस्त ब्यूरो जाब्ता को ईशारा कर साथ लेकर पुलिस थाना भोपालगढ़ परिसर में खड़े परिवादी के पास पहुंचा एवं परिवादी को पूर्व में दिया गया कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त रिश्वति राशि लेन–देन हुई वार्ता जो उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्ड में रिकार्ड है कि आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। ततपश्चात परिवादी को साथ लेकर परिवादी के बताये अनुसार पुलिस थाना भोपालगढ भवन में स्थित कम्प्यूटर कक्ष में पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति लोवर व टीशर्ट पहने हुए खड़ा मिला। जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री पुनाराम एएसआई है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे अपने कक्ष में मिले तथा मुझे साथ लेकर थाना भवन के पीछे अपने रहवासीय कमरे के सामने रखी कुर्सियां पर बिठाया तथा कुछ देर बातचीत करने के बाद पूर्व तय की गई रिश्वत राशि 10000/–रूपये देने का ईशारा किया तो मैंने मेरी पहनी हुई कमीज की साईड की दाहिनी जेब में से निकालकर 500–500 रूपये का बण्डल श्री पुनाराम एएसआई को दिया जिन्होने उक्त तय राशि पुरी होना बोलकर स्वीकार किया तथा गिनकर अपने पहने हुए लोवर की बायी जेब में रखे। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा टी शर्ट एवं लोवर पहने व्यक्ति को अपना व समस्त हमराहयान का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री पुनाराम पुत्र श्री धनदास जाति कामड़ उम्र 47 वर्ष निवासी ईनाणा तहसील एवं पुलिस थाना मुण्डवा जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की ओर ईशारा कर श्री पुनाराम सउनि. से पुछा गया कि आप इस व्यक्ति को जानते है तथा अभी अभी कोई राशि प्राप्त की है। जिस पर कुछ समय श्री पुनाराम मौन रहा तथा कुछ समय रूक कर बताया कि श्री शिवकरण ने मुझे अभी–अभी 10000/–रूपये दिये है। जिस पर आरोपी श्री पुनाराम सउनि. से राशि कहां होने के बारे में पुछा गया तो उन्होने स्वयं ने बताया कि मेरे से गलती हो गई तथा मैंने शिकवरण से प्राप्त की गई राशि सरकारी रहवासीय कमरे में रखी चारपाई के गद्दे के नीचे रखी है। जिस पर आरोपी श्री पुनाराम सउनि. के दोनो हाथ कलाई के उपर से उपस्थित जाब्ते से सुरक्षा की दृष्टि से पकड़वाया जाकर उसके बताये अनुसार उसके सरकारी रहवासीय कमरें में ले जाया गया। जहां पर चारपाई पर रखे गद्दे को उठाया गया तो चारपाई पर एक कोने में निवार पर 500–500 रूपये का एक बण्डल रखा मिला। उक्त राशि को यथावत सुरक्षित रखते हुए आरोपी श्री पुनाराम सउनि. को पुछा गया कि आपने यह राशि श्री शिवकरण से किस बात की प्राप्त की है तो आरोपी जोर–जोर से रोने लगा तथा निरूत्तर रहा। जिस पर पास ही खड़े परिवादी ने बताया कि मेरे खिलाफ श्री ओमाराम ने पुलिस थाना भोपालगढ में प्रकरण संख्या 173/2022

झुठा दर्ज करा रखा है। जिसमें मुझे गिरफ्तार नहीं करने एवं मुकदमें में मदद करने तथा दिनांक 12.09.2022 को मेरे द्वारा श्री ओमाराम के विरूद्ध दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की ऐवज श्री पुनाराम ने मेरे से 20000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा कल दिनांक 13.09.2022 को जब मैं श्री पुनाराम से मिला तो मेरे पास उपलब्ध 4000/–रूपये ईशारे से मांगकर प्राप्त किये तथा उस वक्त ईशारो में तय की गई शेष राशि 10000/–रूपये आज देना तय होने पर अभी–अभी तय रिश्वति राशि 10000/–रूपये प्राप्त किये है। ततपश्चात मैं श्री पुनाराम पर निगरानी रखते हुए थाने भवन के सामने आकर आपको निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। जिस पर ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी शिवकरण एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू आरोपी श्री पुनाराम सउनि. के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त साफ कॉच की गिलासो में भोपालगढ़ थाने के पानी के केम्पर से पीने का साफ पानी बोतल में मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री पुनाराम सउनि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित मटमैला झाईनुमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल का रंग मटमैला झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री पुनाराम सउनि. के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर रंग मटमैला झाईनुमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल रंग मटमैला झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाया गया।

ततपश्चात आरोपी श्री पुनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना भोपालगढ के पहने हुए लोवर की जामा तलाशी ली गई तो पहने हुए लोवर दाहिनी दाहिनी जेब से एक रेडमी कम्पनी का नोट 9 प्रो मोबाईल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 863118042765491 2. 863118042765509 जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 7014597575 एवं दूसरी सिम एयरटेल कम्पनी जिसके नम्बर 9461289597 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री पुनाराम सउनि. के पहनने के लिये अन्य लोवर की व्यवस्था कर पहना हुआ लोवर उतरवाया गया। ततपश्चात एक साफ कॉच की गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। सभी उपस्थितान ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री पुनाराम सउनि. के वक्त लेन–देन पहने हुए लोवर की बायी जेब जहां परिवादी के कहेनुसार आरोपी ने रिश्वत राशि प्राप्त कर गिनकर रखी को उल्टा कर घोल में 2–3 बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल कर रंग परिवर्तन होकर हल्का मटमैला हो गया। उक्त घोल को दो कॉचं की शिशियों में आधा–आधा भरवाया गया।

तत्पश्चात उक्त लोवर को कुछ देर तक पंखे की हवा में सुखाकर संबधित जेब पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त लोवर को भी एक कपडे की थैली में डलवाया गया।

तत्पश्चात आरोपी के सरकारी रहवासीय कमरे में रखी चारपाई पर रखे गद्दे के नीचे रखे 500–500 रूपये के बण्डल को गवाह श्री विनोद कच्छवाह से उठवाया जाकर गिनवाया गया तो उक्त राशि 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/–रूपये होना पाया गया। जिस पर उपस्थित दूसरे गवाह श्री मनीष कुमार विश्नोई को पूर्व तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपर्दगी नोट दी जाकर बरामद हुई रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो सभी नोटो के नंबर हूबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। बरामदा भारतीय मुद्रा के नोट 10,000/–रूपये को बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिये गये।

तत्पश्चात सरकारी रहवासीय कमरे में रखी चारपाई पर रखे गद्दे के नीचे रखी रिश्वति राशि जहां से बरामद की गई के स्थल को मार्क कर एक साफ कॉच की गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। सभी उपस्थितान ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात साफ कपड़े की छिन्दी ट्रेप बॉक्स से निकलवाई जाकर उपरोक्त रिश्वति राशि बरामदगी स्थल निवार की चारपाई जहां पर मार्क कर रखा है पर छिन्दी को 3–4 बार रगड़कर तैयार रंगहीन घोल में डुबोया गया तो रंगहीन घोल कर रंग परिवर्तन होकर मटमैला झाईनुमा हो गया। उक्त घोल को दो कॉचं की शिशियों में आधा–आधा भरवाया गया। ततपश्चात बरामदगी स्थल के धोवन में प्रयुक्त की गई कपड़े की छिन्दी को सुखाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में डलवाई गई।

ततपश्चात इस प्रकरण से सम्बन्धित परिवादी श्री शिवकरण के विरूद्ध पुलिस थाना भोपालगढ में दर्ज अपराध संख्या 173/2022 की पत्रावली एवं परिवादी श्री शिवकरण द्वारा दिनांक 12.09.2022 को श्री ओमाराम के विरूद्ध थाने पर प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में पुछा गया तो श्री पुनाराम ने बताया कि उक्त प्रकरण की पत्रावली थाने भवन के सामने बने स्वागत कक्ष की अलमारी में रखी है तथा शिवकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी शामिल पत्रावली कर रखी है। जिस पर उक्त कार्यवाही स्थल आरोपी का रहवासीय कमरा छोटा होने के कारण अग्रिम सम्पूर्ण कार्यवाही थाने के स्वागत कक्ष में करने का निर्णय लेकर बरामदा उपरोक्त समस्त मालखाना आईटम सुरक्षित हालात में रूबरू स्वतन्त्र गवाहान मय आरोपी व ट्रेप सामग्री को साथ लेकर पुलिस थाना भवन के आगे स्थित

स्वागत कक्ष में पहुंचा जहां पर रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए बरामद मालखाना आईटम शिल्ड चस्पा करना प्रारम्भ किया गया तथा प्रकरण में आरोपी श्री पुनाराम सउनि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का लिया गया धोवन की शीशियों को सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री पुनाराम सउनि. के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का लिया गया धोवन की शीशीयों को सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच. –2 अंकित किया गया। तत्पश्चात श्री पुनाराम सउनि. के वक्त लेन–देन पहने हुए लोवर की बायी जेब जहां आरोपी श्री पुनाराम ने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी को उल्टा कर जेब का लिया गया धोवन की शिशियों को सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। उक्त लोवर जो कपडे की थैली में डाल रखा है उक्त थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को शिल्ड मोहर कर मार्क–एल अंकित कर बतौर वजह सबूत एसीबी लिया गया। तत्पश्चात बरामदा रिश्वति राशि 10000/–रूपये बतौर वजह सबुत ली गई को कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात रिश्वति राशि बरामदगी स्थल निवार की चारपाई जहां पर मार्क कर रखा से लिये गये धोवन की शीशीयों को सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क सी–1 व सी–2 अंकित किया गया। ततपश्चात बरामदगी स्थल के धोवन में प्रयुक्त की गई कपड़े की छिन्दी को पुनः कपड़े की थैली से निकाल कर सुखाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर वापिस कपडे की थैली में डाल कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैली को शिल्ड मोहर कर मार्क–सीएच अंकित कर बतौर वजह सबूत एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी पुनाराम ने स्वागत कक्ष में रखी अलमारी में से प्रकरण संख्या 173/2022 की मूल अनुसंधान पत्रावली पेश की। इसी दरम्यान थानाधिकारी श्री गिरधारीराम उप निरीक्षक पुलिस थाने में उपस्थित आये तथा मन् निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क किया जिन्हें श्री पुनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस के विरूद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही के हालात बताकर प्रकरण संख्या 173/2022 के अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने एवं वर्तमान में उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के कम में पूछा गया तो उन्होने बताया कि उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा भारतीय दण्ड प्रंकिया संहिता 156 (3) के तहत माननीय सक्षम न्यायालय से प्राप्त होने पर दिनांक 01.09.2022 को आरोपीगण सर्व श्री लूणाराम, श्री मेहराम, श्री डुंगरराम पीसराम श्री हस्तीराम बावरी एवं शांन्ति पत्नी श्री रामदीन बावरी तथा श्री शिवकरण पुत्र श्री चैनाराम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 467, 468, 420, 406 एवं 120बीं भा.दं.सं. में पंजींबद्ध किया जाकर अग्रिम अनुसंधान श्री पुनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस के हवाले किया गया जो मैं राजकार्य से बाहर होने के कारण थाने पर उपस्थित श्री प्रकाश ढाका मुख्य आरक्षक द्वारा प्रकरण कायमी किया जाकर श्री पुनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस के हवाले किया था। दिनांक 12.09.2022 को श्री शिवकरण व उसका पुत्र श्री मनोहर एक वकील के साथ आकर एक रिपोर्ट श्री ओमाराम के विरूद्ध मेरे समक्ष पेश की जो रिपोर्ट पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 173/2022 से सम्बन्धित होने के कारण उक्त रिपोर्ट श्री पुनाराम सउनि. को देने हेतु श्री शिवकरण को मैने कहा था। जिस पर श्री गिरधारीराम थानाधिकारी भोपालगढ के रूबरू ही उक्त पत्रावली का अवलोकन किया तो श्री गिरधारीराम थानाधिकारी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होकर श्री शिकवरण के पुत्र श्री मनोहर द्वारा प्रस्तुत मुल रिपोर्ट भूखण्ड के दस्तावेजों के साथ शामिल पत्रावली कर रखी है। उक्त पत्रावली पृष्टांकित करवाई जाकर ब्यूरो के जाब्ते से फोटो कॉपी करवाई गई एवं थानाधिकारी से प्रमाणित करवाई जाकर पत्रावली के प्रथम व अन्तिम पृष्ट पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो ली गई। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन पृथक से मुर्तिब की गई। ततपश्चात मन् निरीक्षक पुलिस हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी की उपस्थिति में परिवादी श्री शिवकरण निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटना स्थल मुर्तिब किया गया। ततपश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हमराह आरोपी श्री पुनाराम के दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थित में रहवासीय कमरा की खाना ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। वक्त 04.00 पी.एम. मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा फर्द आरोपी श्री पुनाराम पुत्र श्री धनदास जाति कामड़ उम्र 47 साल निवासी ईनाणा तहसील व पुलिस थाना मूण्डवा जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण को किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार उनके पुत्र श्री महेन्द्र माकड़ को जरिये मोबाईल दी गई। ततपश्चात् मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर फर्दातनुसार मालखाना आईटम, गिरफ्तार शुदा आरोपी मय ट्रेप सामग्री मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान के पुलिस थाना भोपालगढ़ से जरिये सरकारी वाहन मय प्राईवेट वाहन से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के लिये रवाना होकर ब्यूरो चौकी जोधपुर पहुंचा तथा प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल, आरोपी श्री पुनाराम के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, वक्त लेन–देन पहने हुए लोवर की बायी जेब जहां आरोपी श्री पुनाराम ने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी को उल्टा कर जेब का लिया गया धोवन की शील्डशुदा शीशीया मार्क पी–1 व पी–2 , शील्ड शुदा रिश्वति राशि 10000/– रूपयें, लोवर का शील्ड शुदा पैकेट मार्क एल, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल निवार की चारपाई जहां पर मार्क कर रखा से लिये गये धोवन की शील्ड शुदा

शीशीया मार्क सी–1 व सी–2 , बरामदगी स्थल के धोवन में प्रयुक्त की गई कपड़े की छिन्दी का शिल्ड शुदा पैकेट मार्क–सीएच मय आरोपी का जब्तशुदा मोबाईल इत्यादि मुताबिक फर्द समस्त मालखाना आर्टिकल मालखाना प्रभारी श्री रूपसिंह हैडकानि. नं. 91 बीमार होने के कारण श्री भूरसिंह कानि. नं. 23 को सुरक्षित सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस के कब्जे में सुरक्षित रखा गया। ततपश्चात मन् निरीक्षक पुलिस हमराह ब्यूरो जाब्ता श्री मगराज कानि. नं. 141 मय सरकारी वाहन चालक श्री प्रेमसिंह के आरोपी श्री पुनाराम का राजकीय सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा करवाकर प्राप्ति प्राप्त की गई।

दिनांक 15.09.2022 को वक्त 08.30 ए.एम. पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री शिवकरण व स्वतन्त्र गवाहान श्री विनोद कच्छवाह एवं श्री मनीष कुमार विश्नोई कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 08.35 ए.एम. परिवादी श्री शिवकरण एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री शिवकरण एवं आरोपी श्री पुनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व हुई टेलीफोनिक वार्ता एवं वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप दिनांक 13.09.2022 जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीलट वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री शिवकरण ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री पुनाराम एएसआई की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। वक्त 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री शिवकरण एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री शिवकरण एवं आरोपी श्री पुनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य रिश्वती राशि लेन–देन से पूर्व हुई टेलीफोनिक वार्ता एवं वक्त लेन–देन हुई रूबरू वार्तालाप दिनांक 14.09.2022 जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री शिवकरण ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपी श्री पुनाराम एएसआई की होना बताया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दो सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। ततपश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन की एक मूल शील्ड शुदा सीडी मय दो डब सीडी खुली हालत में तथा वक्त रिश्वत राशि लेन–देन की एक शील्ड शुदा मुल सीडी मय दो डब सीडी खुली हालत में श्री भूरसिंह कानि. 23 को सुरक्षित सम्भलाई जाकर जमा मालखाना करवाई गई।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री शिवकरण के विरूद्ध पुलिस थाना भोपालगढ जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज प्रकरण संख्या 173/2022 में परिवादी को गिरफ्तार नहीं करने, मुकदमें में मदद करने एवं परिवादी द्वारा दिनांक 12.09.2022 को श्री ओमाराम वगैरा के विरूद्ध दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की ऐवज में आरोपी श्री पुनाराम सहाउक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना भोपालगढ जोधपुर ग्रामीण द्वारा परिवादी से 20,000/रूपये रिश्वति राशि की मांग करना। दिनांक 13.09.2022 को रिश्वति राशि मांग सत्यापन कराने पर आरोपी श्री पुनाराम द्वारा परिवादी श्री शिवकरण से रिश्वति राशि मांग करने की पुष्टि होना तथा वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन आरोपी द्वारा 4000/रूपये प्राप्त कर परिवादी को मुकदमें बचाव करने का आश्वासन देना तथा परिवादी द्वारा गरीब होने का वास्त देकर 5000/–रूपये और देने में समर्थ होने की बात कहने पर आरोपी द्वारा ईशारों में 10000/–रूपये लेने के लिये सहमत होना तथा दिनांक 14.09.2022 को वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री पुनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर द्वारा परिवादी से 10,000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहने हुए लोवर की बायी जेब में रखकर उक्त राशि को आरोपी द्वारा अपने रहवासीय कमरे में चारपाई पर गद्दे की नीचे रखना, जहां से ब्यूरो द्वारा रिश्वति राशि बरामद करना तथा आरोपी श्री पुनाराम के हाथों, लोवर की जेब का, बरामदगी स्थल चारपाई की निवार से लिये गये धोवन का रंग मटमैला झाईनुमा आना एवं परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली मय उसकी रिपोर्ट आरोपी से जब्त

होना आदि कृत्य आरोपी श्री पुनाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम–2018 प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री पुनाराम पुत्र श्री धनदास जाति कामड़ उम्र 47 साल निवासी ईनाणा तहसील व पुलिस थाना मूण्डवा जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण का कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में दण्डनीय होने से इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु 07 प्रतियो में प्रेषित है।

भवदीय

(मनीष वैष्णव)
अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पुनाराम पुत्र श्री धनदास, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 364/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3160-64 दिनांक 15.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।

15.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।